



2026:AHC:33017

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट- ए संख्या 2207 सन् 2026

श्रीमती सीमा पाण्डे

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : सचिन कुमार शर्मा

प्रत्यर्थीगण के अधिकता : आशीष मिश्र, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री एस० के० शर्मा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री श्री विवेक सिंह तथा जिला न्यायाधीश के अधिवक्ता श्री चंदन शर्मा (एओआर संख्या 0012/ 2012 को सुना।
2. जिला न्यायाधीश के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि दिनांकित 06.11.2025, 07.01.2026 और 17.09.2025 के आदेशों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013 के नियम 23(9) के अंतर्गत अपील होगी।
3. याची के अधिवक्ता उक्त स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
4. तदनुसार, याचिका का निपटारा किया जाता है और याची को उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अधिकार खुला है यदि अपील संबंधित प्राधिकरण के समक्ष दाखिल की जाती है, तो इस न्यायालय को अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है की उस पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा।

13 फरवरी, 2026

एन० एस० राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"